न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 105/2023

तारीख दायरः— 11.08.2023

तारीख निर्णयः—04.04.2025

1. श्रीमती उमीबाई पत्नी गंगाराम पटेल निवासी जेतावाडा तहसील झाडोल।
2. श्री रामलाल पुत्र गंगाराम पटेल निवासी जेतावाडा तहसील झाडोल।
3. श्री तुलसीराम पुत्र गंगाराम पटेल निवासी जेतावाडा तहसील झाडोल।
4. श्री गोविन्द पुत्र गंगाराम पटेल निवासी जेतावाडा तहसील झाडोल।

.........प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल।

...............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अधि. 1956

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से— श्री दिलीप भामावत

अप्रार्थी की ओर से— पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा लुणियारा पटवार क्षेत्र जेतावाडा तहसील झाडोल में प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2115/2034 रकबा 0.7000 है0 भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण के पति/पिता श्री गंगाराम पिता पन्ना के नाम से खातेदारी अधिकार में दर्ज है। राजकीय रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम गंगाराम पिता कमला के बजाय गंगाराम पिता पन्ना गलत इन्द्राज है, जो कि प्रार्थीगण के पिता/पति गंगाराम के पिता का नाम पन्ना नही होकर कमला है, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा समय—समय पर नई लिखी जाने वाली जमाबन्दी में त्रुटीवश प्रार्थीगण के पिता/पति श्री गंगाराम के पिता का नाम कमला के वजाय पन्ना अंकित कर दिया गया है, जबकि उक्त वर्णित कृषि भूमि संवत 2037 की जमाबन्दी में खाता संख्या 154 पर गंगाराम पिता कमला के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2046 से 2049 के खाता संख्या 157 पर, संवत 2040 से 2043 की जमाबन्दी के खाता संख्या 156 पर गंगाराम पिता कमला के नाम से दर्ज है, लेकिन नई लिखी जमाबन्दी में हल्का पटवारी द्वारा त्रुटीवश प्रार्थीगण के पिता/पति गंगाराम के पिता का नाम कमला के बजाय पन्ना अंकित कर दिया है, जो प्रार्थीगण के पिता/पति गंगाराम के मुकाबले अवैध व शून्य होकर स्लीप ऑफ दी पेन की परिभाषा में आता है एवं जो शुद्वि किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पिता/पति श्री गंगाराम के पिता का नाम पन्ना के बजाय कमला कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड/जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम की शुद्वि की जाकर गंगाराम पिता पन्ना के स्थान परन गंगाराम पिता कमला अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार मौजा लुणियारा के आराजी नम्बर 2115/2034 रकबा 0.7000 है0 खातेदार गंगाराम पुत्र पन्ना पटेल सा. जेतावाडा खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा मौजा लुणियारा की जमाबन्दी संवत 2037 सेटलमेन्ट के वक्त खातेदार का नाम गंगाराम पिता कमला पटेल जेतावाडा गैर खातोदार दज रिकार्ड है, परन्तु जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 में खातेदार का नाम गंगाराम पिता पन्ना पटेल दर्ज हो गया है। उक्त मौके पर उपस्थित मौतबिरानों ने भी जाहिर किया कि खातेदार का वास्तविक नाम गंगाराम पुत्र कमला पटेल है, जबकि राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम त्रुटीवश गंगाराम पुत्र पन्ना पटेल हो गया है, जिसे खातेदार का नाम गंगाराम पुत्र कमला दर्ज किया जाना उचित है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2037 के अवलोकन से प्रार्थीगण के पिता/पति श्री गंगाराम के पिता का नाम कमला अंकित था। संवत 2046 से 2049 की जमाबन्दी में भी श्री गंगाराम के पिता का नाम कमला ही अंकित था, परन्तु संवत 2054 से 2057 की जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता/पति श्री गंगाराम के पिता का नाम पन्ना अंकित कर दिया गया है। पेरोकार सरकार तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता/पति श्री गंगाराम के पिता का नाम पन्ना के बजाय कमला किया जाना उचित है कि रिपोर्ट की गई है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस, प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार झाडोल की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा लुणियारा पटवार क्षेत्र जेतावाडा तहसील झाडोल की जमाबन्दी संवत 2077 से 2080 के खाता संख्या 5889 में अंकित आराजी नम्बर 2115/2034 में प्रार्थीगण के पिता/पति श्री गंगाराम के पिता का नाम पन्ना के बजाय कमला दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner